लाजिस्टिक पार्क के लिए स्टांप शुल्क में मिलेगी 100% छूट

राब्यू, लखनऊ : उप्र वेयरहाउसिंग एवं लाजिस्टिक्स नीति-2022 के अधीन स्थापित होने वाले वेयर हाउस, लाजिस्टिक पार्क और ट्रक की पार्किंग के लिए बनाए जाने वाले पार्क के लिए स्टांप ड्यूटी में दी जाने वाली छूट को लेकर बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है।

इसके तहत वेयरहाउसिंग के लिए बुंदेलखंड, पूर्वांचल और ताज ट्रेपेजियम जोन के लिए स्टांप शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। वहीं, मध्यांचल व पश्चिमांचल (गौमतबुद्ध नगर व गाजियाबाद को छोड़कर) के लिए छूट 75 प्रतिशत होगी। गौमतबुद्ध नगर व गाजियाबाद के लिए छूट 50 प्रतिशत होगी। वहीं, राज्य में कहीं भी लाजिस्टिक पार्क, आइसीडी, सीएफएस परियोजना व ट्रकर्स पार्क की स्थापना के लिए स्टांप शुल्क में सौ प्रतिशत की छूट दी जाएगी।